

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०-177/2022

रामाधार प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

भूषण कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
27.09.2024	वादीगण की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं०-०८ ता १० की ओर दिये गये आवेदन दिनांक ०१.०३.२०२४ अंतर्गत भारतीय परिसीमा अधिनियम के धारा ०५ के आदेश हेतु नियत है। <u>आदेश (ORDER)</u> प्रतिवादी सं०-०८ ता १० की ओर से अपने आवेदन दिनांक ०१.०३.२०२४ में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण दिनांक ०२.०३.२०२३ को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुये तथा दिनांक २६.०७.२०२३ को बयान तहरीरी दाखिल किया है। वादग्रस्त भूमि से संबंधित कुछ आवश्यक कागजात समय से नहीं मिलने के कारण प्रतिवादीगण का बयान तहरीरी तैयार नहीं हो सका जिस कारण बयान तहरीरी समय से दाखिल नहीं किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं०-०८ ता १० के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं०-०८ ता १० को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं०-०८ ता १० दिनांक ०२.०३.२०२३ को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक २६.०७.२०२३ को प्रतिवादी सं०-०८	

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०-177/2022

रामाधार प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

भूषण कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 27.09.2024	ता 10 की ओर से बयान तहरीरी दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं०-08 ता 10 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं०-08 ता 10 द्वारा नियत समय के बाद दिनांक 26.07.2023 को न्यायालय में आवेदन देकर बयान तहरीरी को स्वीकार करने का निवेदन किया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं०-08 ता 10 का आवेदन मो०-1500/- रुपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं०-08 ता 10 की ओर से दिये गये बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 25.11.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	
------------------------------	---	--